

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर  
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103007062014

दांडिक प्रकरण क.-560 / 2014

संस्थापित दिनांक-25.09.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- वनविभाग चन्देरी जिला अशोकनगर।	
	अभियोजन
विरुद्ध	
01-तोफानसिंह पुत्र बुद्धा हरिजन आयु 43 वर्ष निवासी ग्राम नयाखेडा, चंदेरी	
	आरोपी
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री जाफरी अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 03.10.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत वन अधिनियम 1927की धारा 33 ग के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि वनविभाग की ओर से आरोपी तोफानसिंह के विरुद्ध इश आशय का परिवादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 15.10.13 को वनपरिक्षेत्र चंदेरी के स्टाफ वीट नयाखेडा कक्ष क्र. पी 191 गोलपहाडी तलैया के पास वन विभाग की दो हेक्टेयर समतल शासकीय भूमि पर तोफानसिंह द्वारा वन भूमि पर खड़ी झाड़ियां काट कर अवेद्य अतिक्रमण करने का कार्य किया गया तथा आरोपी से जमीन से संबंधित कागज मांगने पर उसने कोई कागज न होना बताया। इस प्रकार उपरोक्त आधार पर तोफानसिंह के विरुद्ध उक्त परिवादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध वनअधिनियम की धारा 35ग के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया, जिसमें आरोपी ने स्वयं को निर्दोष होना बताया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 15.10.13 को वीट नयाखेडा कक्ष क्र. पी191 संरक्षित वन की लगभग दो हेक्टेयर भूमि की खेती या अन्य प्रयोजन से झाड़ी काटकर उक्त भूमि की जुताई की ?

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 श्यामसिंह, अ.सा.2 नाथूराम, अ.सा.3 ओ पी श्रीवास्तव, अ.सा.4 संगीता, अ.सा.5 नत्थू, अ.सा.6 रफीक एवं अ.सा.7 कीर्ती रघुवंशी की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 श्यामसिंह ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 15.10.13 को वह वनपाल के पद पर वीट प्रभारी नयाखेडा के रूप में पदस्थ था तथा

उक्त दिनांक को वह नयाखेडा वीट में वन अमले के साथ गया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसके साथ ओमप्रकाश, संगीता, और कीर्ती भी गये थे। अ.सा.1 के अनुसार मौके पर आरोपी द्वारा कटाई की जा रही थी। उक्त साक्षी ने मौका पंचनामा प्र0पी01, जप्ती पंचनामा प्र0पी02, गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी03 की कार्यवाही उसके समक्ष होना बताया है तथा उक्त दस्तावेजों के ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार प्र0पी010 का पंचनामा एवं प्र0पी011 का जप्ती पंचनामा उसके समक्ष बनाया गया था तथा साक्षीगण के कथन भी लेखवद्ध किये गये थे। उक्त साक्षी के अनुसार प्रकरण में प्रस्तुत कागज भूमि के पट्टे से संबंधित है जो बुद्धद्धा के नाम से है। अ.स.1 के अनुसार उन्होंने भूमि का सीमांकन किया था किंतु कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। उक्त साक्षी के अनुसार उसने स्वतंत्र साक्षीगण की साक्ष्य नहीं ली तथा वो मौके पर उपस्थित थे उनकी ही साक्ष्य ली है।

8. अ.स.2 नाथूराम ने अपने कथन में बताया है कि आरोपी ने कांटे वाली झाड़िया काट दी थी तथा वह खेत बनाना चाह रहा था जिसका पंचनामा प्र0पी01 उसने बनाया था। उक्त साक्षी अनुसार जप्ती पंचनामा प्र0पी02 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी03 की कार्यवाही उसके समक्ष की गई थी तथा उक्त साक्षी ने प्र0पी011 की कार्यवाही भी उसके समक्ष होना बताया है। अ.सा.3 ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने अ.सा.01 के अनुसार कथन किया है तथा अ.स.4 एवं अ.सा.5 ने भी अपने कथन में बताया है कि आरोपी द्वारा वन भूमि काटी गई थी। अ.सा.3 ने प्र0पी01 के वी से वी भाग पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है तथा नक्सा मौका प्र0पी015 की कार्यवाही भी उसके समक्ष होना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार प्र0पी010 के अनुसार आरोपी से हल जप्त किया गया था। अ.सा.4 के अनुसार आरोपी वाहन की आवाज सुनकर भाग गया था फिर उसे पकड़ा था। इसी प्रकार अ.सा.5 के अनुसार प्र0पी010 के पंचनामों की कार्यवाही उसके समक्ष की गई थी तथा अ.सा.4 के समक्ष प्र0पी01 के पंचनामों की कार्यवाही उसके समक्ष की गई थी।

09. अ.सा.7 कीर्ती रघुवंशी ने अपने कथन में बताया है कि उसे वनमंडल अधिकारी द्वारा मौखिक निर्देश दिया गया था कि वन अमला चंदेरी की मदद के लिए चंदेरी रवाना हो जाए और वे लोग नयाखेडा कक्ष क्र 191 पर पहुंचे थे जहां पर आरोपी

झाड़िया कुल्हाड़ी से काट रहा था। उक्त साक्षी ने पंचनामा प्र0पी01 के एफ से एफ भाग पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। अ.सा.6 रफीक खान के अ.सा.1 के अनुसार कथन में बताया है कि मैंने आरोपी को वन क्षेत्र में कटीली झाड़ियों की कटाई करते हुए पाया था। उक्त साक्षी के अनुसार पंचनामा प्र0पी01 उनके द्वारा तैयार किया गया था तथा पंचनामा प्र0पी02 की कार्यवाही उसने उसके समक्ष होना बताया है। उक्त साक्षी ने नक्सा मौका प्र0पी015 तैयार करना बताया है जिसके बी से बी भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार जब वह मौके पर पहुंचा तब आरोपी झाड़ी काट चुका था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी ने एक वर्ष के अंदर पुनः वनभूमि को जोता था इसलिये चालान पेश किया गया।

10. अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि वन विभाग के अमले ने आरोपी को मौके पर झाड़ी काटते हुए पकड़ा था। आरोपी को वन विभाग की भूमि पर झाड़ी काटते हुए पकड़ा गया था तथा इस संबंध में पंचनामा प्र0पी01 तैयार किया गया है जिसे प्रमाणित किया गया है। आरोपी से जो वैलगाड़ी एवं कुल्हाड़ी जप्त प्र0पी02 के अनुसार की गई थी वह भी प्रमाणित किया गया है। अभियोजन की ओर से साक्षीगण के द्वारा प्रस्तुत कथन तटस्थ एवं अखंडनीय रहीं हैं तथा ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं आई है जो कि विरोधाभासी प्रकट होती हो। उल्लेखनीय है कि नक्सा मौका प्र0पी015 को भी प्रमाणित किया गया है। आरोपी की ओर से बचाव में प्र0डी01 एवं प्र0डी02 के दस्तावेज का उल्लेख किया गया है किंतु उक्त दस्तावेजों से यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी द्वारा उक्त अपराध कारित नहीं किया गया है।

11. प्रकरण में अभिलेख पर जो उपरोक्त साक्ष्य आई है उससे यह प्रमाणित हो रहा है कि आरोपी द्वारा उक्त घटना दिनांक को शासकीय वन भूमि पर झाड़िया काट कर जुताई की गई। उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणमतः आरोपी को वनअधिनियम की धारा 33 ग के आरोप सिद्धदोष पाया जाकर दोषसिद्ध किया जाता है।

12. प्रस्तुत प्रकरण सबध विचारणीय है अतः दंड के प्रश्न पर आरोपी को

सुनना आवश्यक नहीं है। जहां तक दंड का प्रश्न है वो निश्चितरूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश से दंडित किया जाना उचित होगा जो कि उसे भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उसके लिए शिक्षप्रद हो। अतः आरोपी को वनअधिनियम की धारा 33ग के आरोप में 15 दिवस के साधारण कारावास एवं 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 03 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।

13. आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

14. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति पूर्व से सुपुदगी पर है उक्त सुपुदगीनामा निरस्त समझा जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

15. आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

16. आरोपी का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)